

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 241/2024

AZAMGARH POLICE

दिनांक- 03.08.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

जनपद आजमगढ़

इण्डस टावर के यूपी ईस्ट सर्किल एडवाइजर द्वारा भेजे गये 04 प्रतिनिधियों ने मोबाइल टॉवर से अजना उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय 13 चोरो का गिरोह की गिरफ्तारी व 10 अजना उपकरण (कीमत लगभग 12 लाख रूपयें) , 03 कार, मोबाइल व नकदी बरामदगी करने वाली एसओजी, सर्विलांस व थाना प्रभारी गम्भीरपुर पुलिस टीम को किया सम्मानित ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा टावर से अजना उपकरण चोरी करने के खुलासे के लिए थाना प्रभारी गम्भीरपुर व एसओजी टीम को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 26.07.2024 को एसओजी, सर्विलांस व थाना प्रभारी गम्भीरपुर पुलिस टीम आजमगढ़ द्वारा मोबाइल टॉवर से अजना उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय 13 चोरो के गिरफ्तारी की गयी तथा गिरोह के कब्जे से 10 अजना उपकरण (कीमत लगभग 12 लाख रूपयें) , 03 कार, मोबाइल व नकदी की बरामदगी की गयी।

➡ इस गिरोह द्वारा आजमगढ़ जिले में कुल 17 स्थानों पर कुल 09 थाना क्षेत्रों (थाना बरदह, निजामाबाद, तहबरपुर, मेंहनगर, सरायमीर, कंधरापुर, देवगांव, गम्भीरपुर व फूलपुर) में मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी किया गया है। थाना बरदह क्षेत्र में कुल 05, थाना देवगांव क्षेत्र में 04, थाना तहबरपुर व सरायमीर क्षेत्र में 02-02, थाना निजामाबाद, मेंहनगर, कंधरापुर, गम्भीरपुर व फूलपुर थाना क्षेत्र में 01-01 स्थानों पर चोरी किया गया तथा पूर्वांचल के जिले वाराणसी, गाजीपुर, मऊ व गोरखपुर में की गयी।

➡ इसके परिप्रेक्ष्य में **इण्डस टावर के यूपी ईस्ट सर्किल एडवाइजर श्री अरविन्द कुमार जैन** के द्वारा कम्पनी के 04 प्रतिनिधियों (1. प्रशान्त चौधरी सिक्क्युरिटी हेड इण्डस यूपी ईस्ट, 2. सुमेर सिंह चौहान सिक्क्युरिटी हेड निशा यूपी, 3. रिटायर्ड डीएसपी लक्ष्मण राय इण्डस ओएसडी जोन गाजियाबाद-आजमगढ़, 4. विवेक दुबे जोन निशा सिक्क्युरिटी आफिसर गाजियाबाद-आजमगढ़) को भेजकर आज दिनांक- 03.08.2024 को पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **हेमराज मीना** व अपर पुलिस अधीक्षक नगर **शैलेन्द्र लाल** को मोमेन्टो दिया गया तथा **गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली समस्त पुलिस टीम को उपहार देकर सम्मानित** किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली सम्मानित पुलिस टीम-

1. निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी प्रभारी स्वाट टीम प्रथम जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 रुपेश सिंह हे0का0 धर्मेन्द्र यादव आरक्षी अरुण पाण्डेय आरक्षी सुनील प्रजापति स्वाट टीम प्रथम जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 प्रकाश शुक्ला प्रभारी स्वाट टीम द्वितीय जनपद आजमगढ़
4. थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
5. उ0नि0 राकेश चन्द्र त्रिपाठी चौकी प्रभारी गोसाईं की बाजार मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
6. हे0का0 विनोद सरोज हे0का0 सत्येन्द्र यादव हे0का0 अभिमीत तिवारी आरक्षी मुकेश यादव आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार स्वाट टीम द्वितीय जनपद आजमगढ़
7. मु0आ0 चन्द्रमा मिश्रा आरक्षी आलोक सिंह हे0का0 उमेश यादव ओ0पी0 दिनेश यादव सर्विलांस सेल जनपद आजमगढ़
8. हे0का0 सुशील यादव मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज
अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.07.2024 को थाना बिलरियागंज अन्तर्गत गाँव की एक महिला ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी दीपक यादव पुत्र श्री केदार यादव निवासी बुदैठा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फूसला कर भगा ले गया तथा दिनांक 18.06.24 को रात्रि में शराब पीकर उसकी पुत्री को मारना पीटना तथा जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 242/2024 115(2)/131/87/318(4) भारतीय न्याय संहिता व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(v) Sc/St एक्ट बनाम दीपक यादव पुत्र श्री केदार यादव निवासी बुदैठा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। जिसमें नामित अभियुक्त दीपक यादव उपरोक्त को आज दिनांक 03.08.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 03.08.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक उपरोक्त को जायका महफिल ढाबा के आगे बाईपास तिराहे से समय 11.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

1. दीपक यादव पुत्र केदार यादव निवासी बुदैठा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 242/2024 115(2)/131/87/318(4) भारतीय न्याय संहिता व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(v) Sc/St एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना—मेहनाजपुर
चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना

➡ दिनांक 21.07.2024 को आवेदिका सुमन पत्नी रमेश राम ग्राम बेला कलीचपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि आवेदिका की बकरी किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 116/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार के द्वारा की जा रही है।

➡ दिनांक 24.07.2024 को आवेदक ओमप्रकाश चौहान पुत्र स्व0 रामचरन चौहान ग्रा0 व पो0 सिधौना थाना मेहनाजपुर जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर तहरीर दिया कि आवेदक की दुकान से अज्ञात चोरो ने कोल्ड ड्रिन्क, नमकीन आदि सामान चोरी कर ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 121/2024 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार के द्वारा की जा रही है।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त ऋषिकान्त सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र अजय सिंह उर्फ छेदी सिंह निवासी ग्राम सिधौना कोटिया थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.08.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त ऋषिकान्त सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र अजय सिंह उर्फ छेदी सिंह निवासी ग्राम सिधौना कोटिया थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 39 को बेलाकलीचपुर तिराहे से समय करीब 06:15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स 116/24 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 121/24 धारा 305(a) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 331(4) /317(2) बीएनएस थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- ऋषिकान्त सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र अजय सिंह उर्फ छेदी सिंह निवासी ग्राम सिधौना कोटिया थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
बरामदगी -

1- 1530 रू,01 गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, 07 पैकेट हल्दीराम नमकीन पंजाबी तडका, 10 पैकेट हल्दीराम चिप्स,

2- 07 पैकेट आशा ज्योति तम्बाकू, 14 पैकेट कैश गोल्ड पान मसाला, 11 पैकेट सी1 तम्बाकू,

3- 03 एक्वाफीना पानी की बोतल 01-01लीटर की, 03 एक्वाफीना पानी की बोतल 500-500 मिलीलीटर की, 01 ली. पेप्सी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-1- व0उ0नि राजेन्द्र कुमार, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, हे0का0 परवेज अख्तर, हे0का0 संतोष यादव, का0 विनोद यादव थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर
तीस लाख रुपये की ठगी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 02.08.2024 को आवेदक प्रेम प्रकाश यादव (एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद) सा.सिंघड़ा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि विनोद विष्ट पुत्र भागे सिंह विष्ट B-10,JN1/58 नक्षत्र सोसाइटी,सेक्टर-09 वाशी नवी मुंबई महाराष्ट्र से मेरी जान पहचान पहले से है विनोद विष्ट जो फिल्म बनाने का काम करते हैं उक्त फिल्म निर्माण में मुझसे निवेश करने के लिए बात चीत किये थे। बात चीत के क्रम में विभिन्न तिथियों में ₹0 30,00,000/- विभिन्न खातों के माध्यम से मुझसे प्राप्त किया गया तथा इसी दौरान आरोपी विनोद विष्ट वउसके दो साथी अविनाश गोला फ्लैट सं. बी 104 जयसिंहपुर बृन्दावन मथुरा,विरेन्द्र सिंह एवं जगमोहन सिंह मकान सं.218 गली सं.05 गोरा नगर थाना बृन्दावन मथुरा एक आर्टिकल किमती धातु बताकरमेरे फार्म हाउस सिंघड़ा आकर बताये कि उक्त किमती धातु के बदले ₹0 50,00,000/- दे दिये जाते हैं तो पैसे के एवज में इसे आपके पास गिरवी रख देंगे। उक्त सामान के बदले तथा फिल्मों में निवेश के नाम पर अभियुक्तगण द्वारा मुझसे कुल ₹0 30,00,000/-प्राप्त किया गया है। जब सामान को खोलकर देखा गया तो रई में लिपटा हुआ एक तांबे का लोटा निकला। इस प्रकार आरोपीगण उपरोक्त द्वारा छल कपट से धन हड़पने के उद्देश्य से मेरे साथ धोखा किया गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 301/2024 धारा 316(2),318(4) बीएनएस 2023 बनाम 1.विनोद विष्ट पुत्र भागे सिंह विष्ट B 10,JN 1/58 नक्षत्र सोसाइटी सेक्टर 09 वासी नवी मुंबई 2.अविनाश गोला फ्लैट सं.बी 104,जयसिंह पूरा बृन्दावन मथुरा 3.वीरेन्द्र सिंह पुत्र मनमोहन सिंह मकान सं.228 गली नं.5 गोरा नगर थाना बृन्दावन मथुरा के पंजीकृत होकर विवेचना उ.नि.अनुपम जायसवाल चौकी प्रभारी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सम्पादित का जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.08.2024 को उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विनोद विष्ट पुत्र भागे सिंह विष्ट B 10,JN 1/58 नक्षत्र सोसाइटी सेक्टर 09 वासी नवी मुंबई उम्र 35 वर्ष को दयालपुर मोड़ से 12.05 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। शेष दो आरोपियों की तलाश जारी गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजन को उचित माध्यम दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.विनोद विष्ट पुत्र भागे सिंह विष्ट B 10,JN 1/58 नक्षत्र सोसाइटी सेक्टर 09 वासी नवी मुंबई उम्र 35 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास:—

3.मु.अ.स. 301/2024 धारा 316(2),318(4) बीएनएस 2023 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.उ0नि0 श्री अनुपम जायसवाल चौकी प्रभारी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

2.का0धीरज सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

वादी मुकदमा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी सावन यादव पुत्र गौरीशंकर यादव द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और अश्लिल फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गयी, शादी की बात करने पर धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 299/24 धारा 69/351(2) BNS व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनांक 03.08.2024 को अपराध निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सावन यादव पुत्र गौरीशंकर यादव ग्राम देवरिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 11.00 बजे अभियुक्त के घर ग्राम देवरिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- सावन यादव पुत्र गौरीशंकर यादव ग्राम देवरिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं 299/2024 धारा 69/351(2) BNS व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – अपराध निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह का0 उदयभान गुप्ता

थाना- (कोतवाली)

लगभग 02 किलो ग्राम गांजा के साध अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक-02.08.2024 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कृष्णचन्द शर्मा पुत्र बृजभान शर्मा निवासी नवली थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को करीमुद्दीनपुर सर्विस लेन पुलिया से आल्टो कार सहित, 1.894 किलो ग्राम नजायज गांजा, व 01 मोबाइल फोन के साथ समय करीब 14:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 434/2024 धारा 8/ 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- कृष्णचन्द शर्मा पुत्र बृजभान शर्मा निवासी नवली थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 434/2024 धारा 8/ 20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़।

बरामदगी- 1.894 ग्राम नजायज गांजा, 01 मोबाइल फोन, 01 अल्टो वाहन (सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, कां0 नरेन्द्र तिवारी, कां0 अंकुर गौड़, कां0 अजय यादव थाना कोतवाली आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना अतरौलिया: किशोरी का अपहरण के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रुपये जुर्माना

➡ दिनांक- 29.08.2006 को वादी मुकदमा थाना अतरौलिया, आजमगढ़ ने थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी अखिलेश वर्मा पुत्र महेन्द्र वर्मा निवासी मंगीतपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ वादी मुकदमा की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 11/2006 धारा 363,366,504,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 05 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 03.08.2024 को मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश वर्मा पुत्र महेन्द्र वर्मा निवासी मंगीतपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- पवई

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार 02 अभियुक्तों के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस

थाना फूलपुर आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 173/2024 धारा 2(ख)(1)/ 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. दिलीप फर् करिया पुत्र पप्पूराम निवासी बरचौली थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर, 2. मंगल नोना उर्फ मंगल लोना पुत्र रतिलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर अम्बेडकरनगर के विरुद्ध मा0 न्यायालय गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ से दिनांक 23.07.2024 को धारा 82 सीआरपीसी की प्रक्रिया का आदेश जारी किया गया था जिसके अनुपालन में आज दिनांक- 03.08.2024 को थानाध्यक्ष पवई अनिल सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त मंगल नोना उर्फ मंगल लोना पुत्र रतिलाल उपरोक्त के घर जाकर मुनादी कराते हुए धारा 82 सीआरपीसी का तामीला कराया गया एवं उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य द्वारा अभियुक्त दिलीप उर्फ करिया पुत्र पप्पूराम उपरोक्त के घर जाकर नियमानुसार मुनादी कराते हुए धारा 82 सीआरपीसी का तामीला कराया गया।